भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2778

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

नमस्ते योजना

2778. श्री प्रवीण पटेल:
श्री गणेश सिंह:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री अरूण गोविल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नमस्ते योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर सफाई कर्मचारियों को खतरनाक परिस्थितियों से प्रभावी रूप से बचाना सुनिश्चित कर रही है;

(ख) सभी पात्र सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में कर्मचारी संघों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार का खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस योजना के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ जिले में कितने सफाई कर्मचारी शामिल हैं साथ ही जिले में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ और मशीनीकरण प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) के क्षमता निर्माण को (i) सीवरों की खतरनाक सफाई की रोकथाम संबंधी कार्यशालाओं और (ii) जूनियर टैक्नीशियन-मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग और डिस्लजिंग ऑपरेटर के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कवर किया जाता है।

(ख): नमस्ते योजना के अंतर्गत पात्र सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को आयुष्मान कार्डों के वितरण में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

i. सत्यापन/ईकेवाईसी में सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

ii. सीएससी/शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ईकेवाईसी शिविर आयोजित किए गए हैं।

iii. शीघ्र ई-केवाईसी की सुविधा के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों को ऑपरेटर आईडी प्रदान की गई हैं।

iv. ई-केवाईसी के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों को फिंगर स्कैनर भी उपलब्ध कराया गया है।

(ग): नमस्ते योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है। इसके अलावा, इसके कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तीन स्तरीय कार्य समूह भी हैं।

योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में कर्मचारी यूनियनों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

(घ): खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में लगे सफाई कर्मचारियों सहित कचरा बीनने वालों को 2024-25 से नमस्ते योजना के तहत एक घटक के रूप में जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वालों को विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थाई आजीविका प्रदान करना है।

(ङ.): कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:-

i. 210 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को सत्यापित किया गया है।

ii. 85 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

*****